

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

04 / 2018
22.02.2018

रामकिशोर पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी अजमेरो की ढाणी मालपुरा तहसील
मालपुरा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा
दिनांक 03.09.2015 धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री विनोद कुमार सैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 14.03.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 4732 में से रकबा 2 बीघा किस्म बाराणी—3 वाके ग्राम मालपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकतरफा पारित किया गया है। अपीलान्ट का पूर्व में कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये ही गलत रिपोर्ट तैयार की गई है और न ही किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट का उक्त जमीन पर किसी प्रकार का कोई कब्जा मौजूद नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी राजकीय भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है।

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

- 860 -




अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्त द्वारा ग्राम मालपुरा के खसरा नम्बर 4732/1 में से रकबा 2 बीघा किस्म बारानी-3 भूमि पर मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। इससे सिद्ध है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस कथन किया कि अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.09.2015 द्वारा अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलान्त द्वारा शास्ती राजकोष में जमा करादी है तथा अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करले की अपीलान्त का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्त अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला अधिकारी, टांक
टांक